रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906
No. 192] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मन्त्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

राष्ट्रीय जमा योजना

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1984

संख्या एफ. 4(3)-डब्ल्यू. एण्ड एम./84 :—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय जमा योजना के बारे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 15 जून, 1984 की अधिसूचना संख्या एफ. 4(3)-डब्ल्यू एण्ड एम/84 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

1. उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 में "50 पैसे" के अंक तथा शब्द के स्थान पर "1 रुपया" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2. उपर्युक्त संशोधन 1 जनवरी, 1985 से प्रभावी होगा ।

राष्ट्रपति के आदेश से

ए. रंगाचारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NATIONAL DEPOSIT SCHEME

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st December, 1984

No. F. 4(3)-W&M|84.—It is hereby notified that the following amendment shall be made in the Notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 4(3)-W&M|84 dated the 15th June, 1984 relating to National Deposit Scheme.

I. In paragraph 13 of the said Notification, the word and figure 'Re 1' shall be substituted for the figure and word '50 Paise'.

II. The above amendment shall come into effect from the 1st January, 1985.

By Order of the President
A. RANGACHARI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985